प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 333 सन 2022

अनवान :–

1. उग्रसैन पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपपुर जिला हिसार।

वादी

बनाम

1. खेतरपाल पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा ।
2. सरबती देवी पत्नी मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा
3. सुनीतादेवी माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
4. सुमन माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
5. सिलोचना माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
6. शारदादेवी माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
7. शिलादेवी माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
8. मुकेश माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
9. संजय माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
10. तारावती पुत्री मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा।
11. बिमला पुत्री मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा ।
12. सावित्रीदेवी पुत्री मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुरा ।
13. सजना पुत्री मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सारगपुर तहसील आदमपुर।
14. शारदा देवी पुत्री मोमनराम जाति मेधवाल निवासी सारगपुर तहसील आदमपुर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 546/544 की कुल 5.8949हैक्‍ में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मोमनराम पुत्र रामचन्द्र को देहान्त हो चुका है जिसकी एक पुत्री सुरजी का भी देहान्त हो चुका है मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है जो काफी वृद्व हो चुकी है तथा प्रवितादी संख्या 3 ता 9 वादी की मृतक वहन सुरजी के वारिसान है एव प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 वादी की वहने एवं मोमनराम पुत्र रामचन्द्र की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है।

ड अधिकारी
नोहर

इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आना कानी आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहैसियत खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मोमनराम पुत्र रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है जिसकी एक पुत्री सुरजी का भी देहान्त हो चुका है मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है जो काफी वृद्ध हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वादी की मृतक बहन सुरजी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 वादी की बहने एवं मोमनराम पुत्र रामचन्द्र की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा धानरिया के खाता संख्या 546/544 की कुल 5.8949हैव में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मोमनराम पुत्र रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है जिसकी एक पुत्री सुरजी का भी देहान्त हो चुका है मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है जो काफी वृद्ध हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 वादी की मृतक बहन सुरजी के वारिसान है एव प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 वादी की बहने एवं मोमनराम पुत्र रामचन्द्र की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

अधिकारी

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 546/544 की कुल 5.8949हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मोमनराम पुत्र रामचन्द्र को देहान्त हो चुका है जिसकी एक पुत्री सुरजी का भी देहान्त हो चुका है मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जिसे वादी के कथनों को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 546/544 की कुल 5.8949हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/05/2022 को प्रशासन गांव के संग अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट ...जसाना...

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

उनवान :-

1. उमरीन पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुर ।

वादी

बनाम

1 खेतरपाल पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा ।
2. सरबती देवी पत्नी मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा
3. सुनीतादेवी माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
4. सुमन माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
5. सिलोचना माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
6. शारदादेवी माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
7. शिलादेवी माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
8. मुकेश माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
9. संजय माता सुरजी पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा जिला हिसार।
10. तारावती पुत्री मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा।
11. बिमला पुत्री मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा ।
12. सावित्रीदेवी पुत्री मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारंगपुर तहसील आदमपुरा ।
13. सजना पुत्री मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारगपुर तहसील आदमपुर।
14. शारदा देवी पुत्री मोमनराम जाति मेघवाल निवासी सारगपुर तहसील आदमपुर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 333 सन 2022 निर्णय दिनांक– 18/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 546/544 की कुल 5.8949हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोमनराम पुत्र रामचन्द्र के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/05/2022 को प्रशासन गांव के संग अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट..........